प्रेषक ,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1-प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2-प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3-प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

4-प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

5-प्रमुख सचिव,
वन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 8 जून, 2020**

विषय :- मधुमक्खी पालन हेतु मधुमक्खी के बाक्स एवं शहद एवं अन्य उत्पादों के प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर परिवहन संबंधी रोक न लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश सं0-32/2017-मु0स0-69/58-2017-443/2015, दिनांक 18.10.2017 एवं शासनादेश सं0-47/2019-जी0आई0-39/58-2019-443/2015, दिनांक 18.11.2019का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संबंध में कार्यकारी निदेशक, नेशनल बी बार्ड, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र सं0-20-09/2017-एनबीबी, दिनांक 04.04.2020 की छायाप्रति संलग्न कर अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत मौनपालन कार्यक्रम संचालित करते हुए मौनपालकों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

3- देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न जलवायु एवं फसल प्रणाली होने के कारण मौनपालकों को मधुमक्खी के बक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तथा कभी-कभी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में माइग्रेट करना पड़ता है, जिससे मधुमक्खियों को शहद, नेक्टर एवं पराग की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में हो सके। ऐसा संज्ञान में आया है कि मौनपालकों को मधुमक्खी के बक्सों को माइग्रेशन के समय तथा विभिन्न स्थानों पर रखने के दौरान कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार जिले/प्रदेश की सीमाओं पर चेकिंग के दौरान बक्सों को परिवहन करने वाली गाड़ियों को रोके जाने से, बक्सों को रखने के दौरान चोरी आदि से, वन विभाग द्वारा शहद को वन उपज की श्रेणी में मानते हुए परिवहन पर रोक लगाने आदि की कार्यवाही से मौनपालकों को अत्यन्त कठिनाई होती है। भारत सरकार द्वारा उक्त कठिनाइयों के निराकरण हेतु राज्य सरकार से आवश्यक निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश में मौनपालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु नेशनल बी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अथवा अन्य किसी राजकीय संस्था/ विभाग से पंजीकृत मौनपालकों को मधुमक्खी के बक्सों एवं शहद एवं अन्य उत्पादों के प्रदेश के अन्दर अथवा प्रदेश के बाहर परिवहन करने तथा रखे जाने पर किसी प्रकार की कोई रोक न लगायी जाय तथा इन्हें हर प्रकार से सहयोग प्रदान किया जाय।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(बी0एल0मीणा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-33/2020/जी0आई0-31(1)/58-2020, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) कार्यकारी निदेशक, नेशनल बी बोर्ड, भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-20-09/2019-एनबीबी, दिनांक 04.04.2020 के संदर्भ में।
(2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।